न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 23/2013 शस्त्र अधिनियम्1

अनवानी :— नाजमसिंह पुत्र स्व. करतारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान राज्य

——— रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित : श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 26.11.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.05.2013, जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 04/2000 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 04/2000 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं. 8977 दर्ज है, जो दिनांक 25.04.2001 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2007 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि लगभग 5 वर्ष 11 माह 26 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 739 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 386/03 अन्तर्गत धारा 03/25 आर्म्स एक्ट में चालान. 4 पीओ के तहत जमानत मुचलका पर पाबन्द कर छोड़ा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की। अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ ने जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलार्थी का लाइसेंस प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक आदेश दिनांक 6.7.12 द्वारा निलम्बित कर दिया गया । तत्श्चात न्यायालय से फैसला होने पर न्यायालय अति0जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से पुनः रिपोर्ट कमांक 1984 दिनांक 5.6.12 प्राप्त की गयी, जिसमें अवगत कराया गया गया कि फौजदारी प्रकरण सं0 386/2003 अन्तर्गत धारा 21/25(1बी) आर्म्स एक्ट में धारा 4 पीओ के तहत एक वर्ष के लिए नेक चलनी पर पाबन्द करने की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अनुज्ञा पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा 5 वर्ष 11 माह 26 दिवस विलम्ब को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 से अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 04/2000 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । विद्वान सहायक लोक अभियोजक (राज्य पक्ष) की बहस सुनी गई।

4. अपील मीमो अनुसार अपीलान्ट का मुख्य रुप से कथन है कि अपीलार्थी एक अनपढ खेतीहर व्यक्ति है, जिसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होने के पश्चात् हर तीन साल बाद नवीनीकरण भी करवाना होता है और इसी कारण अपीलार्थी अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण के लिये अज्ञानता में आवेदन नहीं कर सका और इसी कारण अपीलार्थी के विरूद्ध एक मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 386/03 पुलिस थाना अनूपगढ में अपराध अन्तर्गत धारा 21/25 (1–बी) एच का आयुद्ध अधिनियम में दर्ज हुआ, जिसमें दि. 28.06.2007 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथमवर्ग, अनूपगढ द्वारा निर्णय करते हुए अपीलार्थी को धारा 4 अपराध परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है। इन सभी तथ्यों के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का लाईसेंस निरस्त किया है, जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। नवीनीकरण आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कथन किया है कि अपीलांट का लाईसेंस व शस्त्र उक्त मुकदमा में जब्त हो गये थे, अपीलांट अनपढ खेतीहर किसान है, अज्ञानतावश नवीनीकरण का आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी भी अपीलांट को कार्यालय में लाईसेंस की जानकारी लेने पर दिनांक 12.8.13 को हुई। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण सहित प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट दिनांक 31.12.2009 एवम् 5.6.2012 के अनुसार अपीलान्ट के विरुध्द मुकदमा नं. 386/03 अन्तर्गत धारा 21/25 (1–बी) एच का आयुद्ध अधिनियम में दर्ज हुआ, जिसमें दि. 28.06.2007 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथमवर्ग, अनूपगढ द्वारा निर्णय करते हुए अपीलार्थी को धारा 4 परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर एक वर्ष हेतु नेक चलनी के लिए पाबन्द किया गया । उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलन्ट को न्यायालय द्वारा दोषसिध्द करने के पश्चात धारा–4 का लाभ दिया गया है । ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 उचित आधारों पर है। अपीलांट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र भी लगभग छः वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया है, विलम्ब के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने अपीलान्ट के अपील मीमो एवं राज्य पक्ष सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र में दिये गये कारणों को कन्डोन करते हुए स्वीकार किया जाता है। अपील मीमो अनुसर अपीलान्ट का कथन है कि अपीलार्थी अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु अज्ञानतावश अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समय पर आवेदन नहीं कर सका । अपीलार्थी के विरूद्ध एक मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 386/03 पुलिस थाना अनूपगढ में अपराध अन्तर्गत धारा 21/25 (1–बी) एच का आयुद्ध अधिनियम में दर्ज हुआ, जिसमें दि. 28.06.2007 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथमवर्ग, अनूपगढ द्वारा निर्णय करते हुए अपीलार्थी को धारा 4 अपराध परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त मुकदमा से संबंधित न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.6.07 की प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलांट का दोष सिद्ध होने पर उसे 5000/– के मुचलके पर एक वर्ष के लिये नेक चलनी के लिये पाबंद किया गया है। इस प्रकार शस्त्र अधिनियम में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार सजायाब व्यक्ति के पास हथियार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पत्रावली पर आवेदक द्वारा

नवीनीकरण का आवेदन पत्र भी 5 वर्ष 11 माह 26 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, तथा विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया, ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित आधारों पर है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ का आदेश दिनांक 09.05.2013 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक **26**.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.12 16:57:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: